

उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं विपणन अनुभाग—2 संख्या ९६७ / XIII-II / 40(1) / 2014 देहरादूनः दिनांकः २०० । २० । 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद निजी मण्डी (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 2016

राज्यपाल, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों को अधिक्रमित करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

अध्याय—एक प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद निजी मण्डी (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 2016 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं

- 2. (1) इस नियमावली मे जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
 - (क) "अधिनियम" से ''उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011'' अभिप्रेत हैं;
 - (ख) "प्रपत्र" (फार्म) से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत हैं;
 - (ग) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के प्राविधानों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने अथवा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता
 - (घ) "पर्वतीय क्षेत्र" से समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई से अधिक वाला क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (ड.) "गैर पर्वतीय क्षेत्र" से समुद्र तल से 3000 फीट से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (च) "निजी मण्डी" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी या किसी एक कृषि उत्पादन की मण्डी अभिप्रेत है, जिसका मण्डी समिति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। इसमें ई—मार्केट भी शामिल है;
 - (छ) "अनुज्ञप्तिधारी" से इस नियमावली के अधीन जारी किया गया अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (ज) "सचिव" से कृषि उत्पादन मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
 - (ञ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;



(ट) "संयुक्त कुटुम्ब" का तात्पर्य वही होगा जो भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया है;

(2) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हों;

अध्याय<u>—दो</u> निजी मण्डी की स्थापना और संचालन

निजी मण्डी, कृषक से कृषि उपज की सीधी खरीद (उत्पादक से सीधी खरीद) {धारा 93(आठ) एवं धारा 83}

3. निजी मण्डी की स्थापना:-

(1) अधिनयम की धारा 83 के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र में स्थित किसी स्थान विशेष को एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के क्रय–विक्रय, प्रसंस्करण, निर्यात, मूल्य वर्धन, ग्रेडिगं, पैकेजिगं एवं संव्यवहार हेतु निजी मण्डी की स्थापना के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, पंजीकृत फर्म, कम्पनी, सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थान / कोआपरेटिव सोसाइटिज के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था, अविभाजित संयुक्त कुटुम्ब को राज्य सरकार अनुज्ञप्ति की मंजूरी कर सकेगी।

(2) निजी मण्डी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म, कम्पनी, सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थान, कोआपरेटिव सोसाइटिज के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था राज्य सरकार को प्रपन्न संख्या 17 (अ) (1)

में आवेदन करेगा।

(3) राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्तावक उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये क्रय—विक्रय की सुविधाओं की स्थापना करेगा, रख—रखाव करेगा, नियंत्रण रखेगा।

निजी मण्डी स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क (1) निजी मण्डी की स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क (जारी / नवीकरण) की धनराशि निम्नानुसार देय होगी—

(क) पर्वतीय क्षेत्र — रू० 100000.00 (रु० एक लाख)

(ख) गैर पर्वतीय क्षेत्र -रु० 200000.00 (रु० दो लाख)

निजी मण्डी स्थापना की 5. शर्ते (1) निजी मण्डी स्थापना की निम्नलिखित शर्ते होगीं,

(क) निजी मण्डी की स्थापना हेतु चयनित भूमि का क्षेत्रफल जिला मुख्यालय गैर पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 2.5 एकड़ तथा अन्य गैर पर्वतीय स्थान पर न्यूनतम पाँच एकड़ एवं पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 1/2 एकड़ से कम नहीं होगा।

(ख) निजी मण्डी की अनुज्ञप्ति शासन द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुज्ञप्ति धारक को 03 वर्ष के अन्दर परियोजना के अनुरुप

निर्धारित निर्माण व विनिवेश करना अनिवार्य होगा।



(ग) निजी मण्डी में कृषि उत्पादों का ही कारोबार किया जायेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निजी मण्डी में आधारिक संरचना का विकास –

- (क) निजी मण्डी का अनुज्ञप्तिधारी मण्डी का उपयोग करने वाले उत्पादकों और व्यक्तियों के हित और सुविधाओं के लिए निजी मण्डी यार्ड में नीलामी चबूतरा, शैड, दुकानें, गोदाम, कैन्टीन, पीने के पानी, शौचालय, यूरिनल, ढुलाई एवं उतराई के स्थान, स्ट्रीट लाईट इत्यादि जैसी न्यूनतम सामान्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा, तथा कृषि उत्पाद का थोक संम्वयवहार करने हेतु न्यूनतम् दस व्यापारिक दुकानों का, अनिवार्य रूप से निर्माण करायेगा।
- (ख) निजी मण्डी का संचालन करने वाला व्यक्ति, फर्म/कम्पनी न्यूनतम आधारित संरचना के अतिरिक्त कृषकों के लिए स्टाल, और बीज, खाद, आरगेनिक फूट एवं वेजिटेबिल, मिल्क, फल एवं सब्जी बुथ आदि सहायक सेवाएं सुनिश्चित करेगा।
- (ग) उपर्युक्त उप—नियम (क)(ख) में उल्लिखित आधारिक संरचना के अतिरिक्त, निजी मण्डी का संचालन करने वाला व्यक्ति, फर्म/कम्पनी ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है जिनमें राइपनिंग चैम्बर्स, किसान विश्राम गृह, वेयर हाउस, पूर्व शीतन शीतागार (जिसमें नियंत्रित वातावरण शीतागार शामिल है)। उपभोक्ताओं के फल पकाने सम्बन्धित आवश्यकताएं ग्रेडिंग लाईन वाले पैक हाउस किसान भवन, किसान स्वास्थ्य एवं, पादप स्वास्थ्य संरक्षक उपाय को निर्धारित करने के लिए, प्रसंस्करण के बाद उपज की गुणवत्ता के मूल्याकन के लिए प्रयोगशाला की सुविधाये स्थापित करना ग्रेडिंग लाईन वाले पैक हाउस किसान भवन कम्पोस्टपीड्स, ई नीलामी, विभिन्न कृषि उपज की दरों का ई—डिसप्ले, आदि जैसी आधुनिक मण्डी की सुविधाएं होंगी।

निजी मण्डी हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया

6.

- (1) निजी मण्डी हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्राप्त करने की निम्नवत् प्रक्रिया होगी
 - (क) आवेदन कर्ता प्रपत्र संख्या 17 (अ) (1) में दो प्रतियों में राज्य सरकार को आवदेन करेगा।
 - (ख) आवेदन पत्र के साथ रु० 5000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पक्ष में देय हो, जमा करेगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
 - (ग) आवेदक द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क की धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून के पक्ष में देय हो जमा किया जायेगा। बिना अनुज्ञप्ति शुल्क के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। एक बार अनुज्ञप्ति मिलने के उपरान्त 10 वर्ष के लिए मान्य होगा।
 - (घ) आवेदन पत्र के साथ निजी मण्डी हेतु प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित भू—लेख (खतौनी) तथा भूमि के मालिकाना हक



निर्विवादित होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित ज़िले के कलैक्टर के हस्ताक्षर से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत . अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी से न्यून पद का न हों, से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना होगा। भूमि लीज पर लिये जाने की रिथिति में न्यूनतम 10 वर्ष के लीज रिजस्टर्ड अनुबन्ध से सम्बन्धित प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(ड.) निजी मण्डी स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति के आवेदक को अपनी वित्तीय प्रास्थिति जिसके समर्थन में गत तीन वर्ष की आयकर विवरणियां अथवा स्थायी परिसंपित्तयां जिनका मूल्य चार्टर्ड लेखाकार द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(च) निजी मण्डी की स्थापना की परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट, जिसमे परियोजना की विस्तृत जानकारी जैसे मण्डी स्थापना के लिए प्रस्तावित सुनिश्चित स्थान, प्रसंस्करण श्रेणीकरण, निर्यात, मूल्य वर्धन, ग्रेडिगं, पैकिगं एवं सम्व्यवहार के लिए सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि और सुविधाओं जैसे निजी मण्डी में उपज लाने वाले उत्पादकों के लिए आवास, भोजन व्यवस्था, उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य संरक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण के बाद कृषि उपज की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए प्रयोगशाला, नीलामी चबूतरा, दुकाने, गोदाम, शीत गृह, शौचालय, आन्तरिक सड़कों आदि सुविधाओं की स्थापना हेतु निर्धारित किये गये परिव्यय का विस्तृत विवरण दिया जायेगा।

निजी मण्डी संचालन 7. की शर्ते

(1) निजी मण्डी संचालन की शर्त निम्नवत होंगी:-

(क) सक्षम स्तर से निजी मण्डी में कारोबार प्रारम्भ करने का अनज्ञप्ति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव द्वारा, निजी मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम, नियम एवं उपविधि में विहित प्रवेश पर्ची व मण्डी शुल्क रजिस्टर, प्रपत्र 6, प्रपत्र 9, गेटपास आदि प्रपत्र, निर्गत किये जायेंगे तथा निजी मण्डी में निर्धारित प्रपत्रों का प्रयोग प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(ख) निजी मण्डी में समस्त व्यापारियों एवं मण्डी कृतकार्यों की अनुमति निजी मण्डी के स्वामी / प्रबन्धक द्वारा प्रदान की जायेगी। जिसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को दी जायेगी।

परन्तु निजी मण्डी में प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग की निजी मण्डी अनुज्ञप्तिधारी अनुमति प्राप्त करने वाले व्यापारी निजी मण्डी के भीतर ही प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के कार्य निष्पादित कर सकेगें।

(ग) निजी मण्डी में होने वाले प्रत्येक संव्यवहार पर देय मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की वसूली निजी मण्डी के स्वामी / प्रबन्धक द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निजी मण्डी में



कारोबार करने वाले व्यापारियों से की जायेगी एवं मण्डी समिति को प्रेषित की जाने वाली समस्त धनराशियों को मण्डी समिति में 15 दिन के अन्दर जमा करने का दायित्व भी निजी मण्डी के स्वामी / प्रबन्धक का होगा। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप ब्याज की वसूली की जायेगी। ब्याज की दर वही होगी, जो अधिनियम, नियमों एवं उपविधि में व्यापारियों हेतु विहित हो।

(घ) निजी मण्डी के कारोबार करने वाले अनुज्ञप्तिंधारी कृषकों को उनकी उपज की बिकी पर विकेता के लिये वाउचर (प्रपत्र संख्या 6) जारी करके कृषकों को बिकी के मूल्य का नकद

भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड / कृषि विपणन विभाग / मण्डी समिति का नियत्रण (1) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड/ कृषि विपणन विभाग/कृषि मण्डी समिति का नियत्रण निम्नवत् होगा,

(क) प्रबन्ध निदेशक या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निजी मण्डी यार्ड

का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(ख) निजी मण्डी के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी सिमिति के मण्डी अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली एवं उपविधि में निर्धारित प्रपत्रों का प्रयोग करना होगा। मण्डी उपकर के अपवचंन के प्रत्येक मामले में मण्डी सिमिति के सिचव को निजी मण्डी के प्रवेश एवं निकास द्वारों तथा निजी मण्डी परिसर में प्रवर्तन के अधिकार होगे।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी, निजी मण्डी में किये गये समस्त कय—विकय का मासिक विवरण संबंधित मण्डी समिति को प्रस्तुत करेगा।

(घ) मण्डी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी को निजी मण्डी में प्रवेश करने, तलाशी लेने और अधिनियम, नियमों एवं उपविधि के उल्लंघन की दशा में अधिग्रहण करने की शिक्त प्राप्त होगी व अन्य विधि सम्मत कार्यवाही करने की शिक्त प्राप्त होगी। इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं अधिग्रहण पर, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1974) की धारा 100 के अन्तर्गत तलाशी एवं अधिग्रहण के प्राविधान यथाशक्य लागू होंगे।

(ड.) अनुज्ञप्तिधारी, मण्डी उपकर का उपयोग किसानों को सुख—सुविधायें प्रदान करने हेतु करेगा एवं विकास उपकर की सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित मण्डी समिति में जमा करेगा।

(छ) निजी मण्डी से सम्बन्धित व्यवस्था संचालन हेतु राज्य सरकार/प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय—समय पर निर्देश, नियमो व अधिनियमों अथवा नीतियो से संचालित होगी।

आज्ञा से, २०१० रणबीर सिंह) अपर मुख्य सचिव

प्रपत्र संख्या 17 (अ)(1)

निजी मण्डी के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,

दिनांक

प्रमुख सचिव (कृषि),
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

10119	AA mad			
_	मैं / हम			
2— 3—	मैं / हम, उत्तराखण्ड के			
	में पहले से ही है। या			
4— 5—	मैं / हम निवेदन करता हूं / करते है कि उत्तराखण्ड के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले			

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर) आवेदक का नाम व पता

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हैं:-कम्पनी, सहकारी समिति, निगम, सहभागी फर्म आदि के समामेलन अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र। संगम ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेद।

सभी निदेशकों, मालिकों तथा सहभागियों आदि के नाम, पते और दूरभाष। निम्न तालिका में भूमि की लागत के ब्योरे सहित बनाई गई आधारिक संरचना के ब्योरे (लागत के समर्थन में प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय)

		अनुमानित लागत (रू० में)
कम संख्या	आधारिक संरचना का नाम	अनुसारार सारा (४० ४
1		
2		
3	के का समूच के के नामन	1

अनुज्ञप्ति शुल्क दिए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक बैंक ड्राफ्ट।

क-

ख-ग-घ-

(MA)

च— निजी मण्डी को कैसे चलाया जाय अथवा संचालित किया जाय इस सम्बन्ध में परिचालन और कार्यकारी दिशा निर्देश।

छ— इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बने नियमों का पालन करेगा और उल्लंघन के मामले में वह अनुज्ञप्ति रदद होने की कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

ज- प्रतिभूति के रूप में देय सावधि जमा रसीद।

झ— विगत तीन वर्षों की आयकर (रिटर्न) विवरणी / चार्टर्ड लेखाकार द्वारा निर्धारित स्थायी परिसम्मपत्ति का विवरण।

ट- प्रस्तावित मण्डी की विन्यास योजना।

ठ- यदि सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्था हो तो आवश्यक प्रमाण पत्र।

ड- भूमि की स्थिति, नक्शा, क्षेत्रफल मालिकाना, दस्तावेज। यदि भूमि लीज सम्बन्धी हो तो लीज अनुबन्ध तथा भूमि कब्जे का जिले के कलैक्टर का प्रमाण पत्र आदि।

ढ- वर्तमान में प्रचलित प्रधान मण्डी स्थल एवं उप मण्डी स्थल के क्रय-विक्रय के विनिर्दिष्ट स्थल से प्रस्तावित निजी मण्डी की दूरी (कि०मी० में)।

ण- कोई अन्य जानकारी अथवा दस्तावेज जो आवेदक आवश्यक समझे।

त- प्रक्रिया शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

हस्ताक्षर— आवेदक का नाम— पता/मोहर— In pursuance of the provisons of clause (3) of Article, 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /XIII –II/40 (1)/2014, dated , 2016.

Government of Uttarakhand Agriculture & Marketing Section – 2 No.963/XIII – II/40 (1)/2014 Dehradun: Dated: 20/12/2016

In exercise of powers conferred Section 93 of Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development & Regulation) Act, 2011 the Governor makes the following rules by superseding all existing rules on this subject:

The Uttarakhand Agriculture Produce Private Mandi
(Development & Regulation) Rules, 2016
Chapter - One

Preliminary

- Short Title, 1.(1) These rules may be called the Uttarakhand extent and Commencement

 Agriculture Produce Private Mandi (Development & Regulation) Rules, 2016.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttarakhand State.
 - (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions

- 2.(1) In these rules unless context otherwise requires;
- (a). "Act" means the Uttarakhand Agriculture Produce Mandi (Development & Regulation) Act, 2011;
- (b) "Form" means the form enclosed with these rules;
- (c) "Licensing Authority" means the authority to which the application is to be made for giving

9.



- license or for the renewal of license under the provisions of the Act;
- (d) "Hill region" means the region more then 3000 feet from the sea level;
- (e) "Non-Hill region" means the region less than 3000 feet above from the sea level;
- (f) "Private Mandi" means a mandi of all or any agriculture produce specified in the notification issued under section of the Act and which is managed by a person other mandi society men. It includes e-market also;
- (g) "License holder" means a person holding a license, certificate issued under these rules;
- (h) "Secretary" means the Chief Executive Officer of Agriculture Produce Mandi;
- (i) "Section" means a section of the Act;
- (j) "State" means the State of Uttarakhand;
- (k) "Joint Family" shall mean the same as the meaning is assigned to it under the Indian Income Tax Act;
- (2) The words and expression used in the Act but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Chapter - Two

Establishment and Operation of Private Mandi

Private Mandi, 3.
Direct purchase (1)
of agriculture
from the farmer
(Direct
Purchase from
the producer)
{Section 93
(eight) and
Section 83}

Establishment of Private Mandi:

Under Section 83 of the Act, the State Government may sanction a license to a person, registered firm company, Government/ Semi-Government establishment / society registered under cooperative society, undivided joint family for the

purpose of establishment of a private mandi for sale-purchase, processing, export value addition, grading, packaging and transaction of one or more than one specified agriculture produce, to a particular place situated in mandi area.

- (2) To establish a private mandi the concerned person, registered firm, company, Government, Semi-Government institutions, registered institution under cooperative societies shall make application in form no. 17(a) (1) to the State Government.
- (3) After obtaining license from the State Government, the sponsor shall make arrangements, sale-purchase facilities, maintenance, monitoring etc.
- (4) Registration for e-trade may be made only of such license holders or traders who are already holding license for general trade in any Mandi Society.

License fee for 4.(1) The amount of license fee (issue/renewal) for the establishment of private mandi shall be as under:establishment of private (a) Hill region - Rs.1,00,000/- (Rs. One lac only)
mandi

(b) Non-Hill region - Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lac only)

Terms and Conditions for establishment of private mandi

de

5.(1) These shall be following terms and conditions for establishment of private mandi.

(a) The area of land selected for establishment of a private mandi shall be minimum 2.5 acres in non-hill area district headquarters, minimum & acres in

other non-hill region and minimum 1/2 acres in hill, areas.

- (b) After the acceptance of private mandi license by the Government, the license holder shall be required to make necessary constructions and investment as per project within 03 years.
- (c) Only agricultural products business shall be transacted in the private mandi.
- (2) <u>Development of basic infrastructure in private</u>

 mandi by the license holder: -
- (a) The license holder of private mandi shall have to compulsorily provide general facilities like auction platform sheds, shops, godowns, latrines, urinals, carriage/street lights etc in the mandi yard for the producers and persons using private mandi and shall compulsarily construct minimum ten commercial shops for wholesale transaction of agricultural produce.
- (b) The person, firm/company operating the private mandi shall, in addition to the basic infrastructure, ensure stall and seeds, organic fruit and vegetables, milk and other services for farmers.
- (c) In addition to the facilities described in above subrule (a) and (b) the person, firm/company
 operating private mandi may provide other
 services like ripening chambers, farmers rest
 house, warehouse, cold storage including
 controlled atmosphere cold storage) fruit ripening

2

facilities for consumers, Bhawan having grading line, lab facilities for evaluation of quality of produce after the processing to determine farmers health and plant health protection measure compost seeds, e-auction, e-display of states of different agriculture produces etc.

Procedure for obtaining acceptance of license for private mandi

- 6. Procedure for obtaining acceptance of license for private mandi shall be as under: -
- (a) The applicant shall apply to the state government in form no. 17 (a) (1) in two copies.
- (b) A demand draft for Rs.5,000.00 in favour of Director, Agriculture, Uttarakhand is to be submitted as application fee. This amount shall be refundable.
- (c) Prescribed license fee in the form of demand draft in favour of Director, Agriculture shall be submitted along with the application form. Application without license fee shall not be considered. The license shall be valid for ten years.
- (d) Along with application a certificate signed by the collector of the district or an officer authorised by him not below the rank olf Sub-District Magistrate in respect of ownership of land being undisputed and the land deeds regarding the proposed land is required to be submitted. In case of land being acquired on lease the proof in respect olf lease



registered agreement of minimum 10 years is to be enclosed with the application.

- (e) To establish a private mandi, the applicant of license shall be required to enclose the details of his income tax returns for the last three years in confirmation of his financial status or the details of his permanent assets with their value determined by a chartered accountant.
- (f) For establishment of a private mandi a detailed project report is required to be submitted giving the details of information regarding place of establishment of mandi, processing classification, export, value addition, grading, proposed amount to be spent on facilities like packing and transaction, such as lodging and boarding for producers bringing their yield to the mandi, lab for evaluation of quality of agriculture yield after processing to accomplish the requirements consumers health and plant health protection, auction platform, shops, godown, cold storages, lavatories, internal roads,

Terms
Conditions
for
conducting
Private
Mandi

&

- 7.(1) Terms and conditions for conducting private mandi shall be as under:-
- (a) After obtaining a license from the competent level to start business in private mandi, the secretary of the concerned mandi samiti shall issue the entry slip and mandi fees, register, form-6, form-9, gate pass, etc as prescribed in Act rules and sub-rules



and the prescribed forms shall be compulsorily used in the private mandi.

(b) The permission to traders and mandi related works shall be given by the private mandi owner/manager and shall be intimated to concerned mandi secretary.

Provided that the traders having private mandi license permission for processing, value addition, grading, packaging shall be required to carry out processing, value addition, grading, packaging, inside the private mandi only.

- on each transaction made in the mandi shall be made by the owner/manager of private mandi from the traders as per provisions of the Act and it shall be the responsibility of the owner/manager of private mandi to that all the amounts to be sent to mandi society is deposited within 15 days, failing which interest shall be recovered as per provisions of the Act. The rate of interest shall be as prescribed folr tyraders in the Act, rules and subrules.
- (d) The license holder of private mandi business shall ensure cash payment to farmers against the sale of their products by issuing them voucher (Form no.6).



Monitoring by 8.(
Uttarakhand
Agriculture
Produce
Marketing
Board/Agricult (a)
ure marketing
Departmentnt/
Mandi Society

- 8.(1) The monitoring by Uttarakhand Agriculture

 Produce Marketing Board/Agreiculture Marketing

 Department/ Agriculture mandi Society shall be as under:
- (a) The Managing Director or the authority named by him, shall have the right to inspect private mandi yard.
- (b) The license holder for private mandi shall be required to use forms prescribed in rules and bylaws made under mandi Act of the Mandi Society. In each case of default of cess the secretary of the mandi society shall have the right of enforcement on entrance and exit gates and premises olf the private mandi.
- (c) The license holder shall submit monthly statement of all buying and selling in private mandi to the concerned Mandi Society.
- (d) The secretary of mandi society olr an officer authorised in this behalf by the state government or managing director of the Board, shall have the power to enter and search the premises, and in case of contravention of any provisions of the Act, rules by laws, to requisition and take any lawful action. In matters of search and requisition under this section the provisions of section 100 of Penal Procedure Code, 1973 (Act no.3, year 1974) shall definitely apply.

(e) The license holder shall use the Mandi cess to provide comfort and facilities to farmers and shall deposit the whole amount of development cess in the concerned mandi society.



(f) The arrangements concerning the management of private mandi shall be made by the State Government/Managing Director or his authorized representative as per time to time directions, rules, Acts and policies.

By order,

20/12/2016

(Dr. Ranveer Singh)

Add. Chief Secretary

Form No. 17 (a) (1)

Application for obtaining license for Private Mandi



Date:

10,	
	Principal Secretary (Agriculture) Government of Uttarakhand Dehradun
1.	I/We
2.	retain the license. Please grant me a license for
3.	I/We possess
i.	I/We wish to state that I/We have
	(Signature of Applicant) Name & Address olf the Applicant

Following documents are enclosed with this application: -

- (a). Amalgamation or registration certificate of company, cooperative society, corporation, partnership firm etc.
- (b). Memorandum of Association or Article of Association.
- (c) Names, addresses and telephone numbers of all directors, owners and partners.
- (d) Details of basic infrastructure prepared including cost olf land in following table (certificate to be enclosed in support of cost).

S. No.	Name of basic infrastructure	Approx. Cost (Rs.)
1.		
2.		
3.		

- (e) Required bank draft for license fee.
- (f) Operational and executive guidelines in respect of operations and transaction of a private mandi.
- (g) An affidavit stating that the applicant shall comply to the provisions of the Act and the rules framed under these provisions and in case olf any contravention if the license is cancelled he shall be liable for it.
- (h) Fixed deposit receipt payable as security.
- (i) Income tax return statement for last three years/Details of permanent assets determined by chartered accountant.
- (j) Arrangement scheme of proposed mandi.
- (k) Required certificates in case of government/semi-government institution.
- (1) Location of land, map, area, ownership documents, if the land is on lease, the lease deed and certificate of district collector in respect of possession.
- (m) Distance (km) of proposed private mandi from the specified place olf buyingselling of present mandi and sub-mandi place.
- (n) Any other information or document that the applicant considered necessary.
- (o) Bank draft for processing fees.

Name of the Applicant	